प्रा०पत्र बनाम भूमिधारी तहसीलदार

नं० 84/2023 सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। पेशकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा ने पत्र हमारे/ रीडर/ रिपोर्ट/ 2023/1639 दिनांक 29/12/23 से जवाब व मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शा०का० की गई। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दिनांक 13/02/2024 को पेश हों।	
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र धारा -251 पर बहस की गई। उभय पक्ष को सुना गया। वकील प्रार्थी ने पटवारी हल्का/ तहसीलदार रावतभाटा रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता दिए जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजों व प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन कर गहनता से मनन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र की बहस के दौरान दी गई दलीलों से हम संतुष्ट है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र धारा -251 का स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः वकील प्रार्थी का प्रा०पत्र धारा -251 का स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार किया जाता है। प्रा०पत्र का निर्णय हथन से लिखाया जाकर खुले न्यायालय की इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हों।	

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)